पत्र सख्या-स्था-6सामान्य कम्प्यूटर// को0/ ना0को0पत्र //2021-22// 2110 // वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) **लखनऊ : दिनांक: 19 अगस्त, 2021**

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 683 का-2/2021 / कार्मिक अनुभाग-2 दिनांक 09-08-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि कोविड/नॉन कोविड से मृत अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति एवं समस्त सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान के संबंध में विभागों द्वारा मृतक कर्मीवार समीक्षा करते हुए यह सूचना प्राप्त कर ली जायें कि किन कारणों से प्रकरण लम्बित है तथा यह भी समीक्षा कर ली जायें कि प्रकरणों के लम्बित होनें के कारण औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं। साथ ही लम्बित प्रकरणों के निस्तारण / निर्णय शीघ्र सुनिश्चित करायें जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्मीवार अनुकम्पा नियुक्ति एवं देयकों के भुगतान की समीक्षा करते हुए कर्मचारीवार आख्या यथाशीघ्र /तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करनें का कष्ट करें, जिससे शासन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0 व दिनाँक उक्त।

1- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

atul tej

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता
अर्द्धशा.पत्र संख्या-603 का-2/2021
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
लखनऊ, दिनांकः 9 अगस्त, 2021

1671/ACS/ST/21

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि कोविड एवं नॉन कोविड के कारण मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति एवं उनके समस्त देयकों का शीघ्र भुगतान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में कतिपय दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये थे, किन्तु विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरणों में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हो पा रही है।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कोविड एवं नॉन कोविड के कारण मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति एवं उनके समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में विभागों द्वारा मृतक कर्मीवार समीक्षा करते हुए यह सूचना प्राप्त कर ली जाय कि किन कारणों से प्रकरण लम्बित हैं तथा यह भी समीक्षा कर ली जाय कि प्रकरणों के लम्बित होने के कारण औचित्यपूर्ण हैं, अथवा नहीं। साथ ही लम्बित प्रकरणों को निस्तारण/निर्णय शीघ्र सुनिश्चित कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विभागों से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्याएवं पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांकः 17.08.2021 को मध्याह्न 12 बजे तक Google Sheet-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEbuvFOB6ByeX8jJYsA_Jr4JMv7g3ETdC1zuLLFedOw/edit?usp=sharing एवं कार्मिक अनुभाग-2 की ई-मेल **karmiksec2@gmail.com** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

11.08.21
(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव,
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
विशेष सचिव
राज्य कर विभाग
उ0 प्र0 शासन।

भवदीय,
9/8/21
(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से),
उत्तर प्रदेश शासन।

12/8/21
(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव
राज्य कर विभाग
उ0 प्र0 शासन।

13/08/2021

7224
13/08/21

12.8.21

13-8.21

1045

1095